महत्वपूर्ण/ई–मेल द्वारा

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन–।" उत्तराखण्ड़ देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 671/76याता0–"क"/2017–18 दिनांकः 06.09.2018

सेवा में,

समस्त मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड।

विषयः– **मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा रिट याचिका संख्या–2112/2011 (एम0एस0) अरूण कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के सम्बन्ध में दिनांक–06.07.2018 को पारित निर्णय/आदेशों का अनुपालन समयबद्ध रूप से कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासकीय पत्र संख्या–430/IX–1/32(2012)/2018 दिनांक–19.07.2018 की प्रति संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि अपने कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में उपयोग में लाये जा रहे समस्त वाहनों में **मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेशों का अनुपालन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करवाते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाय कि आपके अधीनस्थ कार्यालयों में उपयोग में लाये जा रहे समस्त वाहनों में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है से अविलम्ब परिवहन विभाग को उपलब्ध कराते हुए इस सम्बन्ध में अनुपालन आख्या की प्रति परिवहन विभाग की ई–मेल आई0डी0** transportdeptuk@gmail.com पर भी प्रेषित की जा सकती है।

यदि किसी कार्यालयध्यक्ष द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय/आदेशों का अनुपालन समयबद्ध रूप से कार्यवाही नहीं की जाती है, तो वे मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के उल्लघंन के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अतः मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय/आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चत करते हुए तद्नुसार अपने अधीनस्थ अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ताओं को भी मा0 उच्च न्यायाल के निर्णय/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपने स्तर से प्रसरित कराने का कष्ट करें।

संलग्नः– पत्रानुसार।

(इं0 सत्येन्द्र शर्मा)
मुख्य अभियन्ता स्तर–2 (मुख्यालय)

प्रतिलिपिः–प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून के संज्ञानार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को मा0 उच्च न्यायाल के निर्णय/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु।

1. मुख्य अभियन्ता स्तर–2, विभागाध्यक्ष, कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून।
2. वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर प्रथम/द्वितीय विभागाध्यक्ष, कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता सिविल/वि0/यॉ0 लो0नि0वि0,............................उत्तराखण्ड ।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता विभागाध्यक्ष, कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून। V
5. मुख्य प्रशासानिक अधिकारी प्रथम/द्वितीय विभागाध्यक्ष, कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून।
6. समस्त वरिष्ठ प्रशासानिक अधिकारी/प्रशासानिक अधिकारी विभागाध्यक्ष, कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून।
7. सहायक लेखाधिकरी/प्राविधिक वर्ग विभागाध्यक्ष, कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून।

I.T
upload
10.9.18
(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता स्तर–2 (मुख्यालय)

संख्या –420/IX-1/32(2012)/2018

प्रेषक,

डी0 सेन्थिल पाण्डियन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4– महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड।
5– मुख्य स्थाई अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल।
6– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमॉऊ, उत्तराखण्ड।
7– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।

परिवहन अनुभाग–1 देहरादून: दिनांक 09 जुलाई, 2018

विषय– मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा रिट याचिका संख्या 2112/2011 (एम0एस0) अरूण कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के सम्बन्ध में दिनांक 06.07.2018 को पारित निर्णय/आदेशों का अनुपालन समयबद्ध रूप से कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उल्लेखनीय है कि आप अवगत ही होगें कि मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में दाखिल रिट याचिका संख्या 2112/2011 (एम0एस0) अरूण कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06 जुलाई, 2018 को पारित निर्णय में प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के सम्बन्ध में अन्य आदेशों के साथ निम्नलिखित महत्वपूर्ण आदेश भी पारित किये गये हैं:–

1- No private vehicles shall be permitted to fix the crash guards and bull bars/flash lights. All the crash guards and, bull bars and flash lights are ordered to be removed within one week by Transport Department.

2- No moter vehicle shall be permitted to ply beyond the prescribed size. The use of hooters/sirens in private vehicles is banned. Hooters/sirens can be used only by Ambulances, fire tenders and any vehicle going on salvage operation.

3- The display of designation/description of office and unauthorized emblems on government/private vehicles is banned. Writing of words like High Court, Army, Police, Journalists on private vehicles is also prohibited forthwith. This direction be implemented within 72 hours. This direction shall also cover the Executive Officers including Judicial Officers.

2– उपरोक्त के कम में आशा है कि आपके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में समयबद्ध रूप से कार्यवाही पूर्ण करा ली गई होगी अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में उपयोग में लाये जा रहे समस्त वाहनों में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय/आदेशों का अनुपालन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करवाते हुए, इस आशय का प्रमाण पत्र कि आपके एवं आपके अधीनस्थ कार्यालयों में उपयोग में लाये जा रहे समस्त वाहनों में मा0 न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है, अविलम्ब परिवहन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अनुपालन आख्या की प्रति परिवहन विभाग की ई मेल आई0डी0 transportdeptuk@gmail.com पर भी प्रेषित की जा सकती है।

3– यदि किसी विभागाध्यक्ष/कार्यालाध्यक्ष द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय/आदेश के अनुपालन में समयबद्ध रूप से कार्यवाही नहीं की जाती है, तो वे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के उल्लंघन के लिए स्वयं उत्तरदायी होगें।

भवदीय,

(डी0 सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव।